भारत सरकार

**पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय**

**लोक सभा**

अतारांकित प्रश्न सं. 3247 जिसका उत्तर
शुक्रवार, 7 अगस्त, 2026/16 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है

**संघर्ष वाले क्षेत्रों में भारतीय नाविक**

**†3247. श्री वी.के. श्रीकंदन:**

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि नौवहन महानिदेशालय ने समुद्री भर्ती और स्थानन एजेंसियों को सलाह दी है कि वे अगली सूचना मिलने तक भारतीय नाविकों को संघर्ष वाले क्षेत्रों में परिनियोजित न करें;

(ख) क्या यह भी सच है कि ये निदेश ओमान के तट के निकट एक पोत पर अमेरिकी आक्रमण में तीन भारतीय नाविकों की मृत्यु होने और कई के घायल या लापता होने के बाद जारी किए गए थे;

(ग) क्या यह भी सच है कि नौवहन महानिदेशालय, भारतीय नाविकों को ले जाने वाले पोतों पर लगातार हो रहे आक्रमणों को देखते हुए, सभी संबंधित लोगों के साथ मिलकर बदलती स्थिति की सघन निगरानी कर रहा है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री**
**(श्री सर्बानंद सोणोवाल)**

(क) से (घ): समुद्री सुरक्षा की उभरती परिस्थितियों को देखते हुए, इस मंत्रालय के अंतर्गत एक अधीनस्थ निकाय, समुद्री प्रशासन महानिदेशालय (डीजीएमए), इस क्षेत्र भर में उभरती सुरक्षा स्थिति की प्रतिक्रिया में उत्तरोत्तर अपनी एडवाजरी अद्यतन करता रहता है। इन एडवाइजरी की प्रकृति एहतियाती होती है और इनका उद्देश्य भारतीय नाविकों की सुरक्षा और संरक्षा को बढ़ाना है। ये उभरती सुरक्षा स्थिति की प्रतिक्रिया में जारी की गई थीं, न कि किसी एकमात्र घटना की प्रतिक्रिया में।

इसके अलावा, होर्मुज जलडमरूमध्य में सुरक्षा स्थिति की शुरुआत से ही, भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए कई उपाय किए गए हैं। इनमें एक समर्पित 24x7 नियंत्रण कक्ष की स्थापना, एक लाइव जलयान-और-कर्मी डेटाबेस का रखरखाव, और जलयानों, भारतीय नाविकों की आवाजाही, घटनाओं और हताहतों की निगरानी के लिए हर 24 घंटे (वर्तमान में सिटरेप नंबर 165) में एक स्थिति रिपोर्ट (सिटरेप) जारी करना शामिल है। डीजीएमए ने त्वरित रिपोर्टिंग और प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए समर्पित 24x7 समुद्री हताहत रिपोर्टिंग, संकट प्रबंधन और नाविक शिकायत निवारण मॉड्यूल के साथ एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म भी विकसित किया है। बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति की भारतीय नौसेना, ध्वज राज्यों, तटीय प्राधिकरणों, पोत स्वामियों, पोत प्रबंधकों, भर्ती और प्लेसमेंट सेवा लाइसेंस (आरपीएसएल) एजेंसियों और अन्य संबंधित हितधारकों के समन्वय से डीजी कम्युनिकेशन सेंटर (डीजीकॉम) के माध्यम से निरंतर निगरानी की जा रही है। विवरण **अनुबंध** में दिए गए हैं।

**अनुबंध**

**(1) चौबीस घंटे निगरानी, रिपोर्टिंग और संकट-प्रतिक्रिया की बैकबोन**

(i) डीजी कम्युनिकेशन सेंटर (एमएमडीएसी) - एक समर्पित 24-घंटे नियंत्रण कक्ष के साथ केंद्रीय समुद्रीय संकट और समन्वय केंद्र, 24x7 कार्मिक तैनात।

(ii) रोजाना पोत रिपोर्टिंग एडवाइजरी - क्षेत्र के जलयान, ऑनलाइन पोत रिपोर्टिंग फॉर्म के माध्यम से रिपोर्ट करते हैं, एक लाइव जलयान-और-कर्मीदल डेटाबेस बनाए रखा जाता है।

(iii) निरंतर रियल-टाइम निगरानी -डीजीकॉम सेंटर के माध्यम से, जलयानों, नाविकों, घटनाओं और हताहतों का पता लगाने के लिए प्रत्येक 24 घंटे में एक स्थिति रिपोर्ट (वर्तमान में सिटरेप नंबर 165) जारी की जाती है।

(iv) ई नाविक पोर्टल - समर्पित 24x7 समुद्री दुर्घटना रिपोर्टिंग, संकट प्रबंधन और नाविक शिकायत निवारण मॉड्यूल के साथ एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म, जो संबंधित प्राधिकरणों को स्वचालित रूटिंग के साथ डिजिटल घटना रिपोर्टिंग और प्रतिक्रिया उपायों की रियल-टाइम ट्रैकिंग मुहैया करता है।

(2) **पूरी सरकार और अंतर्राष्ट्रीय समन्वय**

(i) डीजीएमए/ पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा विदेश मंत्रालय, भारतीय नौसेना, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, उर्वरक विभाग, आईएफसी-आईओआर और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के साथ अंतर-एजेंसी समन्वय बनाए रखता है।

(ii) अंतर्राष्ट्रीय समन्वय - फंसे हुए नाविकों को एक समन्वित तंत्र के माध्यम से, जिसमें आईएमओ, यूकेएमटीओ, एमआईसीए केंद्र और तटीय राज्य शामिल हैं, निकाला जाता है।

(3) **निकासी और स्वदेश वापसी**

03 अगस्त 2026 की स्थिति के अनुसार, 4052 नाविकों को खाड़ी क्षेत्र से स्वदेश वापस भेजा जा चुका है और 62 जलयान (23 भारतीय ध्वजांकित और 39 विदेशी ध्वजांकित) सफलतापूर्वक हॉर्मुज जलडमरूमध्य से भारत के लिए निकाले गए हैं।

(4) **आरपीएसएल / ई-प्रवासन प्रणाली**

**एकल नियंत्रण बिंदु -** प्रत्येक भारतीय नाविक को एक लाइसेंस प्राप्त आरपीएसएल एजेंसी के माध्यम से नियुक्त किया जाता है और वह औपचारिक, सत्यापित अनुमोदन के बिना ई-प्रवासन की मंजूरी प्राप्त या जहाज पर कार्यग्रहण (साइन ऑन) नहीं कर सकता।

(5) **कल्याण और सहायता**

(i) परिवार संबंधी सहायता - प्रभावित नाविकों के परिवारों के साथ निकट और निरंतर संपर्क बनाए रखा जाता है।

(ii) मृत्यु के मामलों में मुआवजा - तत्काल सहायता, जिसमें नाविक कल्याण कोष सोसायटी के माध्यम से 10,00,000 रुपये की राशि जारी करना शामिल है।

(iii) 24x7 शिकायत निवारण - सहायता के लिए कई हमेशा उपलब्ध चैनल: घरेलू टोल-फ्री 1800-889-7768; अंतर्राष्ट्रीय टोल-फ्री (यूएसए) +1-888-988-0256; व्हाट्सएप +91 8655856830; ईमेल enavik.24x7@gov.in; और ई-नाविक शिकायत पोर्टल।

(6) **भारतीय नाविकों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एडवाइजरी:**

i. **डीजीएस एडवाइजरी (14.01.2026) -** ईरान पर विदेश मंत्रालय की एडवाइजरी को देखते हुए भारतीय नाविकों और शिपिंग हितधारकों के लिए एडवाइजरी, जिसमें शिपिंग कंपनियों को परामर्श दिया गया था कि अगले आदेश होने तक भारतीय नाविकों को ईरान न भेजा जाए, इस क्षेत्र में भारतीय कर्मीदलों की बारीकी से मॉनिटरिंग अपेक्षित है, और नाविकों को निर्देश जाएं कि वे भारत के दूतावास और विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन करें।

ii**. डीजीएस का 2026 परिपत्र 09 (28.02.2026)** - ईरान में बढ़ते तनाव की स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों और शिपिंग हितधारकों के लिए तत्काल एडवाइजरी, जिसमें ईरान में भारतीय नाविकों को सतर्क रहने, भारतीय दूतावास में पंजीकरण कराने, जहां संभव हो, सुरक्षित प्रस्थान के लिए समन्वय करने की आवश्यकता और हितधारकों को प्रभावित क्षेत्रों में भारतीय नाविकों का विवरण तत्काल प्रदान करने का निर्देश दिया गया है।

iii. **डीजीएस का 2026 का परिपत्र 10 (06.03.2026)** - फारस की खाड़ी, होर्मुज जलडमरूमध्य और आसपास के जलक्षेत्र में कार्यरत भारतीय नाविकों और शिपिंग हितधारकों के लिए सुरक्षा एडवाइजरी, जिसमें निरंतर सतर्कता बनाए रखने, आईएसपीएस कोड सुरक्षा उपायों का अनुपालन करने, 24x7 आपातकालीन संपर्क तंत्र स्थापित करने, भारतीय मिशनों से संपर्क बनाए रखने, आपातकालीन तैयारी, और जहां आवश्यकता हो, नाविकों व उनके परिवारों के लिए मनोवैज्ञानिक काउंसिलिंग सहायता प्रदान करने का परामर्श दिया गया है।

iv. **डीजीएस का 2026 का परिपत्र 11 (07.03.2026)** - समुद्री हितधारकों और नाविक समुदाय के लिए सोशल मीडिया एडवाइजरी, जिसमें समुद्री हितधारकों को अप्रमाणित जानकारी, अफवाहों, नकली वीडियो या अटकलबाजी वाली रिपोर्टों को प्रसारित करने से बचने और केवल आधिकारिक स्रोतों से प्रमाणित जानकारी पर भरोसा करने का निर्देश दिया गया है।

v. **डीजीएस का 2026 का परिपत्र 21 (07.04.2026)** - ईरानी पत्तनों में किनारे पर और ईरानी जलक्षेत्र में या उसके आसपास प्रचालित जलयानों पर भारतीय नाविकों के लिए सुरक्षा एडवाइजरी, जिसमें ईरान में नाविकों को निर्दिष्ट स्थानों पर रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने, अत्यधिक सतर्कता बनाए रखने, दूतावास की एडवाइजरी का पालन करने और कंपनी प्रतिनिधियों के संपर्क में रहने का परामर्श दिया गया, साथ ही 24x7 आपातकालीन सहायता संपर्क विवरण भी प्रदान किए गए हैं।

vi. **डीजीएस का 2026 का परिपत्र 31 (13.06.2026)** - खाड़ी क्षेत्र में बढ़ी हुई सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों के लिए सुरक्षात्मक उपाय, जिसमें बढ़ी हुई सुरक्षा सतर्कता को दोहराया गया है, शिपिंग कंपनियों और आरपीएसएल कंपनियों को अगले आदेश होने तक भारतीय नाविकों को संघर्ष क्षेत्रों में तैनाती पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया है (सहमति से आपातकालीन क्रू परिवर्तन को छोड़कर), मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग आवश्यकताएं, और सत्यापित सुरक्षा जानकारी का प्रसार किया गया है।

vii. **डीजीएस का 2026 का परिपत्र 36 (15.07.2026):** व्यापारी जलयानों पर नए हमलों को देखते हुए, डीजीएस परिपत्र संख्या 36/2026 ने पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय जलयान और पत्तन सुविधा सुरक्षा (आईएसपीएस) कोड सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन को अनिवार्य कर दिया है और खाड़ी क्षेत्र से गुजरने वाली यात्राओं पर भारतीय नाविकों को तैनात करने के खिलाफ सलाह दी।

viii. **डीजीएस का 2026 का परिपत्र 41 (23.07.2026) –** काले सागर में प्रचालन करने वाले भारतीय नाविकों को ले जाने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जलयानों के लिए जारी एडवाइजरी, जिसमें अतिरिक्त सावधानी, यात्रा-विशिष्ट सुरक्षा मूल्यांकन, सुरक्षा एडवाइजरियों का कड़ाई से पालन और घटनाओं की तत्काल रिपोर्टिंग की आवश्यकता है।

ix. **डीजीएस का 2026 का परिपत्र 42 (23.07.2026) -** बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य, दक्षिणी लाल सागर और उसके पास यमन के जल में प्रचालन करने वाले जलयानों के लिए जारी एडवाइजरी, जिसमें जलयान स्वामियों और मास्टर्स को अत्यधिक सावधानी बरतने, सुरक्षा घटनाक्रमों की निरंतर मॉनिटरिंग करने और अतिरिक्त जोखिम कम करने के उपायों को लागू करने का निर्देश दिया गया है।

*****